i`kDdFku

खाद्य सुरक्षा प्राप्त करना भारत के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है जहाँ एक तिहाई से अधिक जनसंख्या गरीब मानी जाती है। भारत सरकार पिछली सात दशकों से एक या अन्य नाम में सार्वजनिक संवितरण प्रणाली के माध्यम से खाद्यान्नों का संवितरण कर रही है। सम्मानपूर्वक जीवन व्यतीत करने के लिए लोगों को सस्ते दामों पर गुणवत्ता के भोजन को पर्याप्त मात्रा में प्रदान करने के उद्देश्य के साथ संसद द्वारा 10 सितम्बर, 2013 को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (एन.एफ.एस.ए.) को अधिनियमित किया गया था। भारत को खाद्य सुरक्षित बनाने के मिशन को अब कानूनी जनादेश देते हुए हकदारी– आधारित से अधिकार–आधारित दृष्टिकोण दिया गया है।

चूंकि एन.एफ.एस.ए. ने लक्षित लोक संवितरण प्रणाली के मौजूदा प्लेटफार्म का उपयोग परिकल्पित किया था, उसने लाभार्थियों की पहचान तथा वर्ष की समय सीमा में नए राशन कार्डों को जारी करने, टी.पी.डी.एस. परिचालनों के कम्प्यूटीकरण, उचित एवं वैज्ञानिक भंडारण क्षमता का सृजन करने एवं राज्यों द्वारा उचित मूल्य दुकानों को खाद्यान्न के द्वार पर वितरण करना जैसे महत्वपूर्ण कदम उठाए थे। अखिल भारतीय स्तर पर केवल 11 राज्यों ने वर्ष के भीतर कार्यान्वयन किया तथा 18 राज्यों ने अक्तूबर 2015 तक एन.एफ.एस.ए. का कार्यान्वयन सूचित किया था।

हमने उपरोक्त महत्वपूर्ण घटकों पर नौ चयनित राज्यों/सं.शा.क्षे. में तैयारी के आकलन के लिए एन.एफ.एस.ए. के कार्यान्वयन की स्थिति की जांच की थी। लाभार्थियों की पहचान ऐसा एक महत्तवपूर्ण लक्ष्य था जिसे एक वर्ष में प्राप्त किया जाना था, परंतु अधिकतर शीघ्र कार्यान्वकों (हिमाचल प्रदेश, दिल्ली एवं महाराष्ट्र) ने पुरानी प्रणाली की पुनरावृत्ति की थी तथा इसे एन.एफ.एस.ए. अनुपालनकारी के रूप में पुनः ब्रांड किया गया था। लाभार्थियों की पहचान के लिए केन्द्र सरकार द्वारा समय सीमाओं में बार–बार वृद्धि की गई थी जिसके लिए अधिनियम में कोई प्रावधान नहीं था। यह प्रतिवेदन दर्शाता है कि इसके अधिनियमन के दो वर्षों के पश्चात् भी कई राज्यों में एन.एफ.एस.ए. के कार्यान्वयन के लिए की गयी तैयारी में कमी थी।

चूंकि एन.एफ.एस.ए. के माध्यम से खाद्यान्नों का संवितरण सरकार का महत्वपूर्ण सामा. जिक सुरक्षा कार्यक्रम है, संरचनात्मक परिवर्तनों तथा खाद्यान्नों के कुशल वितरण करने की आवश्यकता है।

लेखापरीक्षा को भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखांकन मानकों के अनुरूप संचालित किया गया है।

इस प्रतिवेदन को भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत संसद के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए बनाया गया है।